

न्यायालय सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी / उपजिलाधिकारी भोगाँव (मैनपुरी)

वद संख्या 24 वर्ष 12-13

धारा 143 ज० वि० अधिनियम

ग्राम गनेशपुर भाग अर्जुनपुर पर व तहसील भोगाँव

सुरेन्द्र सिंह

बनाम

सरकार

दाखिल नि० 25/12/13

दिनांक: 19-6-13

वादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी ग्राम गनेशपुर भाग अर्जुनपुर परगना व तहसील भोगाँव जनपद मैनपुरी द्वारा एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि गाटा संख्या 58/1.449 में से 1.008 ल० 60 ख हेक्टे० जगान 35.20 पैसा गनेशपुर भाग अर्जुनपुर परगना व तहसील भोगाँव जनपद मैनपुरी में स्थिति है। राजस्व अभिलेखों में उक्त भूमि में विद्यालय बना हुआ है तथा निर्मित कार्य चल रहा है। उक्त भूमि हर प्रकार के भार से मुक्त है। आवादी योग्य है। उक्त भूमि पर कृषि कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन, वागपानी आदि कृषि जैसा कोई कार्य नहीं हो रहा है। धारा 143 ज० वि० अधि० एव० भूमि प० अधि० के अन्तर्गत आवादी घोषित कराना चाहता है।

उक्त प्रार्थना पत्र की जाच तहसीलदार भोगाँव से कराई गई जाँच आख्या राजस्व निरीक्षण आख्या दिनांक 26.07.2012 जिसे तहसीलदार भोगाँव की आख्या दिनांक 16.08.2012 को अपनी पुस्तिकर आख्या इस न्यायालय को भेजी है। आख्या में अंकित किया गया है कि गाटा संख्या 58/1.440 में से 1.008 हेक्टे० जगान 35.20 पैसा गनेशपुर अर्जुनपुर परगना व तहसील भोगाँव जनपद मैनपुरी मुक्त कर आवादी घोषित करने की सुस्तुति की गयी है।

आदेश

उक्त विवेचना के आधार पर वादी सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री प्रेमसिंह निवासी गनेशपुर अर्जुनपुर परगना व तहसील भोगाँव जनपद मैनपुरी का प्रार्थना पत्र व तहसीलदार आख्या दिनांक 16.08.2012 को स्वीकार की गयी है वादी की गाटा सं० 58/1.449 में से 1.008 हेक्टे० गनेशपुर अर्जुनपुर परगना व तहसील भोगाँव जनपद मैनपुरी को भू राजस्व मुक्तकर और कृषि कार्य हेतु प्रख्यापित की जाती है तदनुसार परवाना अमलदरामद जारी हो वाद अनुपालन पत्रावली दाखिल हो

दिनांक



(विमल कुमार) सहायक कलक्टर प्रथम श्रेणी उप जिलाधिकारी भोगाँव

TRUE COPY

S. D. O. Muzaffarnagar

Copied by

Authenticated by



प्राचार्य चौधरी प्रेमसिंह प्रेमसिंह फारूकी कोठेर गनेशपुर, पो० अर्जुनपुर जिला-मैनपुरी